

5/2
24

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)

पत्रावली के बुरे। प्रथमिका व क्वील प्रथमिका
उपस्थित नहीं। इनके अनुपस्थिति रहने के कारण
प्रथमिका-पत्र से संबंधित मूल दस्तावेज अदम पंरवी
असम हाजरी में खारिज हो चुका है। जिससे यह प्रथमिका
-पत्र भी अथ आगे चलने योग्य नहीं है।

अतः यह प्रथमिका-पत्र भी इसी स्तर
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार
की जावे तथा तस्वीप तकमिल भी जास्त्र दाखिल
दफ्तर की जावे।